(c) if not, the steps, if any, being taken in that direction?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI CHATURANAN MISHRA): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The Indian Council of Agricultural Research (ICAR) has recently undertaken an exercise for the preparation of Perspective Plans up to 2020 A.D. for all its constituent Research Institutes spread over the Country. The Perspective Plan Documents of all the Institutes have been prepared and are under finalization.

The ICAR has also worked out the modalities for generating its own resources by the following means as recommended by the Johl Committee of ICAR:—

(i) introducing Revolving fund Schemes.

(ii) imparting training on reasonable and adequate fees on cost plus basis.

(iii) rendering consultancy services to public and private sector organisations.

(iv) undertaking contract reasearch projects with public and private sector organisations.

(v) charging for contract services.

The ICAR is also taking steps for charging royalties/licence fees on patents/protected materials/techniques/technologies used.

मध्य प्रदेश में पर्यावरण में सुधार करने संबंधी प्रस्ताव

848. श्री अजीत जोगी: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यावरण के सुधार और वनों के विकास के लिए कोई योजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार ने इस उद्देश्य के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) पर्यावरण और वन मंत्रालय की चालू स्कीमों के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन से प्राप्त पर्यावरण तथा वनों के विकास में सुधार संबंधी प्रस्तावों के साथ उनकी अवस्थिति सूचना और प्रदान की गई वित्तीय सहायता से ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्रम सं॰	स्कीम का नाम	संक्षिप्त विषय	भारत सरकार की निधीयन सीमा	1996-97 के दौरान अवस्थिति/प्रदत्त वित्तीय सहायता (लाख रुपए)
1	2	3	4	5
1.	आधुनिक दावानल नियंत्रण पद्धतियां--पंचवर्षीय व्यापक प्रस्ताव	वनों की सुरक्षा के लिए दावानल नियंत्रण	100%	प्रस्ताव पर कार्रवाई चल रही है।
2.	अवक्रमित वनों के वनीकरण में अनुसूचित जनजातियों और ग्रामीण निर्धनों को शामिल करना।	बायोमास संसाधन बेस के सुधार के लिए अवक्रमित वनों के वर्गीकरण में अनुसूचित जनजातियों और ग्रामीण निर्धनों को शामिल करना।	100%	38.75
3.	एकीकृत वनीकरण तथा पारि विकास स्कीम।	वनीकरण और पारि विकास संवर्धन	100%	150.07
4.	क्षेत्रोन्मुख जलाऊ लकड़ी व चारा परियोजना स्कीम।	अभिनिर्धारित जलाऊ लकड़ी की कमी वाले क्षेत्रों में जलाऊ लकड़ी और चारे की आपूर्ति का संवर्धन।	50%	125.00

1	2	3	4	5
5.	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना	खान, क्षिप्रा, ताप्ती, बेतवा, नर्मदा, वेनगंगा और चम्बल नदियों का प्रदूषण उपशमन	50%	मध्य प्रदेश शासन से प्राप्त होने की संभावना वाले कार्यों के 89 विस्तृत परियोजना रिपोर्टों में से अभी तक 14 विस्तृत परियोजना रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। प्राप्त विस्तृत परियोजना रिपोर्टों में से 7.88 करोड़ रुपए की लागत पर 9 विस्तृत परियोजना रिपोर्टें स्वीकृत की गई हैं। कार्य-निष्पादन के लिए मध्य प्रदेश को केन्द्रीय अंश के रूप में 3.37 करोड़ रुपए की धनराशि भी जारी की गई है।
6.	बाघ परियोजना	बाघों की उपयुक्त आबादी के अनुरक्षण कोष निश्चित करना	100% अनावर्ती 50% आवर्ती	कान्हा और पेंच बाघ रिजर्वों के लिए 38.10 लाख रुपए जारी किए गए। कान्हा बाघ रिजर्व के प्रस्ताव पर कार्रवाई चल रही है।
7.	बाघ रिजर्वों के आसपास पारि-विकास	बाघ रिजर्वों के चारों ओर रहने वाले समुदायों को वैकल्पिक जीविको-पार्जन प्रदान करना।	100% अनावर्ती 50% आवर्ती	बांधवगढ़ बाघ रिजर्व के प्रस्ताव पर कार्यवाही चल रही है।
8.	बाघ परियोजना क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों तथा वन्यजीव अभ्यारण्यों के आदिवासी ग्रामों के लिए लाभोन्मुखी स्कीम कान्हा बाघ रिजर्व का प्रस्ताव।	पुन: स्थापन योजना के तहत आदिवासी तथा अन्य परिवारों का पुनर्वास	100%	7.20
9.	राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों का विकास।	राज्यों को वित्तीय सहायता देकर राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास में सहायता देना	100%	प्रस्ताव पर कार्यवाही की जा रही है।
10.	राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के आसपास पारि-विकास	राष्ट्रीय उद्यानों के चारों ओर रहने वाले समुदायों को वैकल्पिक जीविकोपार्जन प्रदान करना।	100% अनावर्ती 50% आवर्ती	इस प्रस्ताव को संशोधित किए जाने के लिए राज्य सरकार का लौटा दिया गया है क्योंकि इस से स्कीम की अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार नहीं किया गया था।
11.	औषधीय पादपों सहित गैर-इमारती वनोपज	औषधीय पादपों सहित गैर इमारती वनोपज उगाना।	100/	30.00